"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2005—भाद्र 18, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

अधिसूचना

फा. क्र. 7169/डी-2157/21-ब/छ.ग./05.—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 24-2-2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है तथा दिनांक 1-10-2005 से अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करती है.

संशोधन

(1) उक्त अधिसूचना के अनुसूची 2 में सरल क्रमांक 5 के पश्चात् सरल क्रमांक 5-क जोड़ा जाए, अर्थात् :—

अनु. क्र. (1)	न्यायालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्राधिकार (4)
5-क	न्यायालय, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग.	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग नोट :—वह प्रधान न्यायाधीश, दुर्ग राजस्व जिला दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा.

(2) उक्त अधिसूचना के अनुसूची-दो में सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ा जाए,—

अनु.क्र. (1)	न्यायालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्राधिकार (4)
7.	कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा	कोरबा	राजस्व जिला कोरबा कटघोरा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
8.	कुटुम्ब न्यायालय, रायगढ़	रायगढ़	राजस्व जिला रायगढ़ सारंगढ़, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
9.	कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अंबिकापुर).	सरगुजा (अंबिकापुर)	बैकुण्ठपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर और रामानुजगंज न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर.

Raipur, the 6th September 2005

NOTIFICATION

F. No. 7169/D-2157/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following amendment in departmental notification No. 1507/D-397/XXI-B/C.G./05, dated 24-2-05 and establish Additional Family Court Serial No. 5 of the said notification, in Schedule-II, the serial No. 5-A shall be added, namely :—

AMENDMENT

(1) After Serial No. 5 of the said notification, in Schedule-II, the serial No. 5-A shall be added, namely :—

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Headquarters (3)	Jurisdiction (4)
5-A.	Court of IIIrd Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	Durg	Revenue District Durg. Note :—He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Durg of Revenue District, Durg.

(2) After serial No. 6 of the said notification in Schedule-II the following entries shall be added :—

S. No. (1)	Name of the Court (2)	Headquarters (3)	Jurisdiction (4)
7.	Family Court, Korba	Korba	Revenue District Korba excluding the jurisdiction of Court at Katghora.
8.	Family Court, Raigarh	Raigarh	Revenue District Raigarh excluding the jurisdiction of Courts at Sarangarh, Gharghoda & Dharamjaigarh.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Family Court, Surguja (Ambikapur).	Surguja (Ambikapur)	Revenue District Surguja excluding the jurisdiction of Courts at Baikunthpur, Surajpur, Manendragarh, Pratappur and Ramanujganj.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.